कार्यालय, संयुक्त रजिस्ट्रार एवं जांच अधिकारी

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(नोटिस)

क्रमांक 9407 /DE/04/2017 बिलासपुर, दिनांक 08.11.2017

9

प्रति,

श्री श्रीनिवास राव नायडू,
(अनुभाग अधिकारी, निलंबित)
उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
पताः– क्वांटर नं. एम.आई.जी–1/226, हाउसिंग बोर्ड,
कॉलोनी, देवरीखुर्द, बिलासपुर (छ.ग.)

विषयः– आपके विरूद्व छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 14 के अन्तर्गत विभागीय जांच के संबंध में।

–000–

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 6668 दिनांक 02/08/2017 द्वारा आपके विरूद्व लगाए गए आरोपों की जांच के लिए उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के आदेश क्रमांक 75 (Mis.) II-14–25/2017 दिनांक 11/09/2017 पृष्ठांकन क्रमांक 7791/II-14-25/2017 दिनांक 11/09/2017 के द्वारा मुझे जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उक्त प्रकरण प्रारंभिक सुनवाई हेतु दिनांक 07.11.2017 के लिए नियत था जिसकी सूचना आपको रजिस्टर्ड डाक (पावती सहित) द्वारा प्रेषित की गई थी जो डाक विभाग द्वारा 31.10.2018 को वापिस प्राप्त हुई ।

उक्त प्रकरण में, मैं प्रारंभिक सुनवाई दिनांक 04/01/2018 गुरूवार को अपने कार्यालय में पूर्वाह्न 11.30 बजे करूंगा। इस तिथि और समय पर आप स्वयं अथवा अपने बचाव सहायक के साथ उपस्थित हों। **यदि आप अनुपस्थित रहेंगे तो एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी।**

यदि बचाव सहायक का विवरण, उनकी सहमति और उनके नियंत्रण अधिकारी की जानकारी मुझे दिनांक 04/01/2018 गुरूवार तक प्रस्तुत की जाएगी तो उनके लिए आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएंगे। कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को बचाव सहायक के रूप में नामांकित करने के लिए कृपया राज्य शासन के निर्देशों का ध्यान रखें।

(डी.पी.सिंह)
संयुक्त रजिस्ट्रार एवं जांच अधिकारी
उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर